



You are here: Home > विभाग

22/12/2018 02:13pm

एनएबीसीबी ने प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए पीएसी के एमएलए पर हस्ताक्षर किया



एनएबीसीबी ने प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए पीएसी के एमएलए पर हस्ताक्षर किया

जो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकक्ष बन गई है, अन्य दो हांगकांग और मैक्सिको के मान्यता प्राप्त निकाय हैं।

PAC के साथ एमएलए पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच (IAF) के साथ MLA पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करेगा।

NABCB मान्यता कार्यक्रम OHSMS के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों, ISO / IEC 17021-1 और ISO 45001 पर आधारित है।

पीएसी द्वारा मान्यता एनएबीसीबी द्वारा प्रदर्शन पर आधारित है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानक, आईएसओ / आईईसी 17011 का अनुपालन करता है, जो इस पर लागू होता है और इस क्षेत्र में प्रमाणीकरण निकायों के लिए OHSMS में क्षमता है।

IAF हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों की स्थिति यह संकेत देती है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए NABCB द्वारा प्रमाणन निकायों की मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

एनएबीसीबी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक घटक बोर्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणन / निरीक्षण निकायों की मान्यता के लिए जिम्मेदार है।

NABCB पहले ही 2002 में ISO 9001 प्रमाणन निकायों और 2007 में ISO 14001 प्रमाणन निकायों, 2013 में ISO 17065 पर आधारित उत्पाद प्रमाणन निकाय, 2013 में ISO 17020 पर आधारित निरीक्षण निकाय, आईएसओ 22000 प्रमाणन निकाय और आईएसएमएस प्रमाणन निकाय 2015 में आईएसओ 27001 और 2018 में आईएसओ 50001 के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली 2014 में Global Gap के लिए अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता हासिल कर चुका है।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (KNN) प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) ने आईएसओ 45001 हेतु प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (PAC) की पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MLA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

NABCB ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHSMS) प्रमाणन निकायों के लिए अपने मान्यता कार्यक्रम के लिए समतुल्यता प्राप्त की है।

NABCB एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरी मान्यता प्राप्त संस्था है



एनएबीसीबी ने प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए पीएसी के एमएलए पर हस्ताक्षर किया प्रत्यायन व्यवसाय और उसके ग्राहकों के लिए जोखिम को कम करता है यह आश्वासन देकर कि मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय (CBs) मान्यता के दायरे में उनके द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हैं।

प्रत्यायन निकाय (ABs) जो कि PAC और CBs के सदस्य हैं, जिन्हें वे मान्यता देते हैं, उन मानकों के अनुरूप अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों और लागू PAC आवेदन दस्तावेजों का अनुपालन करना आवश्यक है।

ABs जो PAC के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं, एमएलए को उनके मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के संचालन में विश्वास प्रदान करने के लिए साथियों की नियुक्त टीम द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

प्रत्यायन भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है और इसे भारत की तरह कई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में संदर्भित किया जाता है - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जिसमें NABCB मान्यता इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम उत्पाद के प्रमाणन के लिए एक आवश्यकता है।

इस प्रकार, मान्यता व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं को दूर करती है और विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करती है।